

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 979/ 2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 23 November, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 979/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 23 November, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following amendment in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8, No. 522/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017; namely:-

1. In the said notification, the proviso under Paragraph 1 shall be omitted.
2. The exemption specified in the notification no. 522/2017/9(120)/XXVII(8)/ 2017 Dated 29 June, 2017, as amended by this notification shall apply to all registered persons till the 31st day of March, 2018.
3. This notification shall deemed to come into force from 13th day of October, 2017.


(Radha Raturi)
Principal Secretary

५

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या /2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादूनः दिनांकः २३ नवम्बर, 2017

अधिसूचना

चौंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 522/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-


1. इक अधिसूचना में पैरा 1 के अधीन परंतुक का लोप किया जाएगा।
2. इस अधिसूचना द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 522/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में अंतर्विष्ट छूट 31 मार्च, 2018 तक सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को लागू होगी।
3. यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

(राधा रत्नाली)
प्रमुख सचिव

सं0979/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1—आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियों वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3—विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4—अपर सचिव, वित्त-8, उत्तराखण्ड शासन।
- 5—एन0आई0सी0
- 6—गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव